इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-ए-3-11-2019-1-पांच (27).— भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

आदेश

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि ---

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;

(ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रुप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरुप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ।

अत: अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, क्रमांक एफ ए-3-71-2017-1-पांच (126) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है ।

2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --

(i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपोजीशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कंपोजीशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।

3. यह आदेश दिनांक 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्रमांक एफ ए-3-11-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-11-2019-1-पांच, (27) दिनांक 6 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F-A3-11-2019-1-V (27).— Bhopal, the 6th March 2019

WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-

(i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;

(ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section(1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) and in supersession of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No. F A-3-71-2017-1-V (126) dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account-
   - (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;
   - (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.
3. This order shall deemed to have come into effect from 1st day of February, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.